

2024/387 D

183/2024

पत्र
27/5/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
(डीडवाना-कुचामन)

27/5/24

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शाखा व भू.अ.नि. शाखा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार कुचामन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रिक्शा तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 में खाता संख्या 47 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	रिक्शा	47	पतासीदेवी पालि सुखाराम राम जाति जाट सा. हावीपुरा (रैनवाल) तह. फुलैरा जिला जयपुर	पतासीदेवी पालि सुखाराम जाति जाट सा. रिक्शा तह. कुचामन जिला - डीडवाना- कुचामन

MP

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक :- 27/5/24

क्रमांक/रीडर/2024/ 216

प्रतिलिपि :-

कुचामन

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री पतासीदेवी पालि सुखाराम जाति जाट को सूचनार्थ।

रिक्शा कुचामन तहसील

MP

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

